

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक UDH/5/0009/2024/18-6
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:— इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-01 नगर अर्थात ग्राम नैनोद, जम्बूडीहप्सी एवं रिंझलाय आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु योजना की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक-607/आई.डी.ए.-410/प्रा.सेल/नग्रानि/2024, दिनांक 27.09.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-01 नगर अर्थात ग्राम नैनोद, जम्बूडीहप्सी एवं रिंझलाय की कुल रकबा 157.669 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम, इन्दौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के एक ओर ही प्रस्तावित की गई है जिससे की योजना की फिजिबिलिटी प्रभावित होगी। योजना को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर की भूमि को योजना में सम्मिलित किया जाना प्राधिकरण हित में होगा।

अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्राधिकरण को वापिस की जाती है कि प्रस्तावित योजना का धारा-50(1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टीपीएस से लगे हुए 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

Suport
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पृ० क्रमांक UDH/5/0009/2024/18-6,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर म.प्र.।
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Suport
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक UDH/5/0010/2024/18-6

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

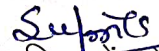
आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-02 नगर अर्थात ग्राम जम्बूडीहप्सी, बुढानिया, पालाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु योजना की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक-605/आई.डी.ए.-409/प्रा.सेल/नग्रानि/2024, दिनांक 27.09.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-02 नगर अर्थात ग्राम जम्बूडीहप्सी, बुढानिया, पालाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा की कुल रकबा 286.046 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम, इन्दौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के एक ओर ही प्रस्तावित की गई है जिससे की योजना की फिजिबिलिटी प्रभावित होगी। योजना को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर की भूमि को योजना में सम्मिलित किया जाना प्राधिकरण हित में होगा।

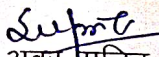
अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्राधिकरण को वापिस की जाती है कि प्रस्तावित योजना का धारा-50(1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टीपीएस से लगे हुए 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।


(सुप्रिया पंडेक)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पू0 क्रमांक UDH/5/0010/2024/18-6,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक UDH/5/0011/2024/18-6
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

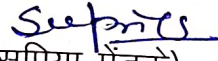
आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-03 ग्राम बड़ा बांगड़दा, बुढानिया एवं पालाखेड़ी में आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु योजना की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक-611/आई.डी.ए.-408/प्रा.सेल/नग्रानि/2024, दिनांक 27.09.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-03 ग्राम बड़ा बांगड़दा, बुढानिया एवं पालाखेड़ी की कुल रकबा 204.550 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम, इंदौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के एक ओर ही प्रस्तावित की गई है जिससे की योजना की फिजिविलिटी प्रभावित होगी। योजना को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर की भूमि को योजना में सम्मिलित किया जाना प्राधिकरण हित में होगा।

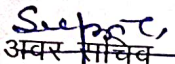
अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्राधिकरण को वापिस की जाती है कि प्रस्तावित योजना का धारा-50(1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टीपीएस से लगे हुए 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।


(सुप्रिया पंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पृ0 क्रमांक UDH/5/0011/2024/18-6,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक UDH/5/0012/2024/18-6
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-04 ग्राम लिम्बोदागारी, बड़ा बांगड़दा एवं पालाखेड़ी में आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु योजना की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक-613/आई.डी.ए.-406/प्रा.सेल/नग्रानि/2024, दिनांक 27.09.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-04 ग्राम लिम्बोदागारी, बड़ा बांगड़दा एवं पालाखेड़ी की कुल रकबा 350.073 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम, इन्दौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के एक ओर ही प्रस्तावित की गई है जिससे की योजना की फिजिबिलिटी प्रभावित होगी। योजना को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर की भूमि को योजना में सम्मिलित किया जाना प्राधिकरण हित में होगा।

अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्राधिकरण को वापिस की जाती है कि प्रस्तावित योजना का धारा-50(1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टीपीएस से लगे हुए 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

Suprat
(सुप्रिया पेडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पृ० क्रमांक UDH/5/0012/2024/18-6,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Suprat
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक UDH/5/0013/2024/18-6

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-05 ग्राम लिम्बोदागारी, बरदारी, रेवती एवं भवंरासला में आवासीय एवं मार्ग उपयोग की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक-609/आई.डी.ए.-407/प्रा.सेल/नग्रानि/2024, दिनांक 27.09.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ A.P.-05 ग्राम लिम्बोदागारी, बरदारी, रेवती एवं भवंरासला की कुल रकबा 172.558 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीम, इंदौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के एक ओर ही प्रस्तावित की गई है जिससे की योजना की फिजिबिलिटी प्रभावित होगी। योजना को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर की भूमि को योजना में सम्मिलित किया जाना प्राधिकरण हित में होगा।

अतः मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50(1)(घ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्राधिकरण को वापिस की जाती है कि प्रस्तावित योजना का धारा-50(1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टीपीएस से लगे हुए 75.00 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

Supriya
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पृ० क्रमांक UDH/5/0013/2024/18-6,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Supriya
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग